न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर. ए. एस.)

निर्णय दिनांक :– 29/01/2026

मु. :– 4 /2026

भंवरलाल भोभरिया पुत्र खेता राम उम्र 66 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू मो.नं. ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

............अप्रार्थी

राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं

136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955''

निर्णय

उपस्थित :–

1. लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का एक खेत खाता संख्या नया 163 व पुराना 17 तादादी 0.8039 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बैनाथा उमजी पटवार हल्का दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी के एकल खातेदारी का खेत है। जिसके खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भँवराराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) अंकित हो रखा है, जबकि प्रार्थी का सही पूर्ण एवं दस्तावेजी नाम भंवरलाल भोभरिया पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी दड़ीबा है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक शाखा बीदासर में प्रार्थी का नाम भंवरलाल भोभरिया पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापत) अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भँवराराम पुत्र खेताराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भँवरलाल भोभरिया पुत्र खेताराम जाति कुम्हार अंकित होने के कारण प्रार्थी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम भँवराराम पुत्र खेताराम की जगह अपना सही, पुर्ण एवं शुद्ध दस्तावेजी नाम भंवरलाल भोभरिया पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापत) का संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में कराये।

प्रार्थी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व वाद राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन का है तथा वादग्रस्त खेत रोही बैनाथा उमजी पटवार हल्का दूंकर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर राजस्व वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित में जवाव पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम शूद्ध एवं पूर्ण किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने राजस्व वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक शाखा बीदासर आदि में प्रार्थी का नाम भंवरलाल भोभरिया पुत्र खेताराम जाति कुम्हार अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भँवराराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार अंकित है। हमने पत्रावली का भलीभांति ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धी से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक शाखा बीदासर आदि में प्रार्थी का नाम भंवरलाल भोभरिया पुत्र खेताराम जाति कुम्हार अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भँवराराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम बैनाथा उमजी पटवार हल्का दूंकर के खेत खाता संख्या नया 163 व पुराना 17 खसरा नम्बर 290/193 तादादी 0.8039 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम भँवराराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्ध एवं पूर्ण नाम भंवरलाल भोभरिया पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापत) दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर